



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042024-253562  
CG-DL-E-05042024-253562

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1542]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946

No. 1542]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना  
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

का.आ. 1625(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किए गए निम्नलिखित आदेश को सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाना है:-

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33), के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (1) के अनुसरण में, निम्नलिखित को सोलहवें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात्:-

डॉ. मनोज पांडा, पूर्व निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान

पूर्णकालिक सदस्य

2. आयोग के उपरोक्त सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख या 31 अक्टूबर, 2025 तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

3. यह आदेश सोलहवें वित्त आयोग के गठन के संबंध में दिनांक 31.12.2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 5533(अ) और दिनांक 30.01.2024 की अधिसूचना सं. का.आ. 369(अ) के क्रम में है।

हस्त/-

द्रौपदी मुर्मू,  
राष्ट्रपति

नई दिल्ली,

दिनांक 5, अप्रैल 2024

[फा. सं. 10(2)-बी(एस)/2022]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2024

**S.O. 1625(E).**—The following order made by the President is to be published for general information: —

**ORDER**

In pursuance of clause (1) of article 280 of the Constitution read with the provisions of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to appoint the following as Member of the Sixteenth Finance commission, namely:-

Dr. Manoj Panda, former Director, Institute of Economic Growth	Full-time Member
--	------------------

2. The above member of the Commission shall hold office from the date of assuming office up to the date of submission of Report or 31<sup>st</sup> day of October, 2025, whichever is earlier.

3. This order is in continuation of the Notification No. S.O.5533 (E) dated 31.12.2023 and Notification No. S.O.369 (E) dated 30.01.2024 with respect to constitution of Sixteenth Finance Commission.

Sd/-

Droupadi Murmu,  
PRESIDENT

New Delhi,

Dated 5<sup>th</sup> April, 2024

[F. No. 10(2)-B(S)/2022]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.